sons/parties and that they never import dry fruits in their individual capacity; and

(c) if so, whether Government propose to allow import of dry fruits under 'Open General Licence' Scheme so as to prevent black marketing in its import? . . . . . .

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI KHURSHID ALAM KHAN): (a) The number and value of import licences issued for import of dry fruits excluding cashew nuts and dates are given below:— . . .

(in Rs. lakhs)

	No.	Value
1982-83 . . .	6412	3647.34
1983-84 . . .	6804	2282.63
1984-85 (up to June '85)	2071	893.97

Details of individual licences are published in the "Weekly Bulletin of Import Licences, Export licences and Industrial licences" copies of which are available in the Parliament Library.

(b) Some cases of sale of such licences have come to the notice of the Government Action is taken under import of dry fruits under O.G.L. lation.

(c) There is no proposal to allow import of dry fruits under O.G.L.

मेंढकों की टांगों का निर्यात

2292. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० जी० एम० ओझा के अनुसार, भारत प्रति वर्ष मेंढक की 3000 टन टांगों का निर्यात कर रहा है और 9000 टन मेंढक प्रति वर्ष मारे जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये 9000 टन मेंढक मनुष्यों के स्वास्थ्य और फसलों को हानि पहुंचाने वाले 10 लाख टन कीड़ों को खा सकते हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि बहुत बड़ी संख्या में मेंढकों के मारे जाने से ऐसे कीड़ों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है जो कि फसलों को खराब कर देते हैं तथा लोगों के स्वास्थ्य के लिये खतरा है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) डा० जी०एम० ओझा द्वारा व्यक्त किये, बताये गये ऐसे मत के बारे में कोई प्रामाणिक रिपोर्ट नहीं है । इस आशय का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि मेंढक की टांगों के निर्यात (जोकि 1984–85 के दौरान 2,728 मे० टन का था) के परिणामस्वरूप कीटों की संख्या में बड़े पैमाने पर वृद्धि होती है और इससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है तथापि परिवेश संरक्षण के लिये मेंढकों को पकड़ने और मेंढक की टांगों के निर्यातों पर सरकार द्वारा अनेक प्रतिबंध लगाये गये हैं जिनमें ये शामिल हैं:— . . .

(1) 15 अप्रैल से 15 अगस्त तक प्रजनन सीजन के दौरान मेंढक पकड़ने और मेंढक की टांगों के संसाधन पर रोक है ।

(2) निर्यात अधिकतम सीमा का निर्धारण ।

(3) केवल उन्हीं संसाधनों को मेंढक की टांगों का संसाधन तथा निर्यात करने की अनुमति दी जाती है जिनके पास मेंढकों के दयामय हनन की सुविधा है ।

(4) निर्यात कतिपय किस्मों तक ही सीमित हैं ।

Withdrawals from Employees' Provident Fund for house construction

2293. SHRI J. K. JAIN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government propose to raise the ceiling of withdrawals entitlement from Employees' Provident Fund for the construction of houses;